गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). द्वितीय श्रेणी के नवयुवक अधिकारियों को प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नत करने के लिये एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा का प्रचलन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली छावनी बोर्ड के क्वार्टर और दुकानें

३७७३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के पास लगभग २०० रहने के क्वार्टर और दुकानें हैं जिन में आजकल असैनिक व्यक्ति रह रहे हैं और इस के कारण बोर्ड को काफी नुकसान हो रहा है ;

(ख) इन क्वार्टरों की देखभाल पर अनुमानतः कितना व्यय होता है और पिछले पांच वर्षों में इन से कितना किराया मिला है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्वार्टरों को नीलाम करने का है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कठिनाइयों पर विचार किया है जो इन क्वार्टरों के वर्तमान निवासियों के सामने आयेंगी ; और

(ङ) क्या सरकार ने इन क्वार्टरों को इन में रहने वाले व्यक्तियों के पास आसान किश्तों पर बेचने का विचार किया है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ११८ वास्य क्वार्टरों और ६५ दुकानों पर छावनी बोर्ड, दिल्ली को औस्तन २००० रुपये मासिक हानि उठानी पड़ रही है । इन में ४२ क्वार्टरों में तो छावनी बोर्ड फंड के कर्मचारी रह रहे हैं और ७६ दूसरों को किराये पर दिये हुए हैं ।

(ख) पिछले पांच वर्ष में इन इमारतों की देख रेख पर व्यय, और प्राप्त किया गया किराया निम्नलिखित है :—

वर्ष	व्यय	प्राप्त किराया
१९५६–५७	१३,०५४	१०,३१४
१९५७–५८	१३,०००	११,१५३
१९५८–५९	१२,१७२	१३,०६४
१९५९–६०	१०,८५७	११,४९६
१९६०–६१	१७,३५८	१०,३९३
जोड़	६६,४४१	५६,४२०

(ग) चूंकि इन इमारतों की देख रेख बचत के विचार से, अब कम लाभकारी हो रही है, उन के निपटारे का सुझाव छावनी बोर्ड के विचाराधीन है । भारत सरकार को अभी तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

Investment in various Projects

3774. **Shri Sampath:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount invested in various Central Government Projects, State-wise?

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Bifurcation of Constituencies

3775. **Shri M. B. Thakore:** Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under Section 19 of the Bombay Bifurcation Act read with Section 6 of the Two Member Constituencies (Abolition) Act, 1961, only existing double constituency should be bifurcated;

(b) if so, why Patan Double constituency for Assembly has not been bi-rucated when there was no increase in number of seats for Assembly in Patan Parliamentary Constituency in Mehsana district; and

(c) if not, how Patan Taluka has been separated from Harij Taluka?

The Deputy Minister of Law (Shri Hajarnavis): (a) to (c). Under section 19 of the Bombay Reorganisation Act, 1960, as amended by section 6 of the